लॉक डाउन अवधि में मधुमक्खी पालकों को मूवमेंट की अनुमति जारी करने के निर्देश

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
M-04-04-2020-07.docx (http://103.203.138.54/news/205681/document/M-04-04-2020-07.docx)

DESCRIPTION

लॉक डाउन अवधि में मधुमक्खी पालकों को मूवमेंट की अनुमति जारी करने के निर्देश

जयपुर, 4 अप्रेल। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने जिला कलक्टर्स को कोविड-19 लॉक डाउन अवधि में मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मूवमेंट की अनुमति जारी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख शासन सचिव श्री गंगवार ने बताया कि प्रदेश से बाहर के मधुमक्खी पालकों की ओर से राज्य के कई जिलों में मधुमक्खी पालन किया गया है। यह व्यवसाय कृषि संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधि के परिप्रेक्ष्य में आता है। वर्तमान में मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त फसलों की कटाई हो जाने से मधुमक्खी पालकों को अन्य उचित जगह जाना जरूरी है। श्री गंगवार ने जिला कलक्टर्स को मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ जिले में, अन्तर्जिला एवं अन्तर्राज्यीय मूवमेंट की अनुमति जारी करने को कहा है। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के उप निदेशकों एवं सहायक निदेशकों को मूवमेंट की अनुमति चाहने वाले मधुमक्खी पालकों की सूची तैयार कर प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

SUPPORTING IMAGES